

कार्यालय नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र, हाथरस
विकास अनुज्ञा-स्वीकृति पत्र

श्री मनोज कुमार यादव पुत्र श्री अमर सिंह
निवासी- ग्लोरी गार्डन, मथुरा रोड, हाथरस व
श्रीमती सरोज देवी पत्नी श्री प्रेम सिंह
निवासी- जमालपुर, मथुरा,
प्रोमोटर वसुन्धरा रियल एस्टेट, ए-67, मोतीकुंज एक्सटेंशन,
मथुरा

महोदय,

आपके द्वारा प्रस्तुत विकास स्थल गाटा सं०-501/2/1, 501/2/2 का अंश, मौजा-हतीसा भगवन्तपुर, तहसील-हाथरस पर स्थित 9784.70 वर्ग मी० भूमि के क्षेत्रफल पर प्रस्तावित आवासीय ग्लोरी गार्डन फेज-५ के विन्सास मानचित्र संख्या-139/2020-21 दिनांक 28.12.2020 की निम्नांकित शर्तों के साथ आर०बी०ओ० एक्ट 1958 के अन्तर्गत भवन निर्माण की अनुज्ञा प्रदान की जाती है

1. प्रस्तावित भूमि के विकास हेतु दी गई अनुज्ञा स्वीकृति के दिनांक से पाँच वर्ष तक के लिए वैध मानी जायेगी तथा समस्त विकास कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कराना होगा।
2. प्रस्तावित स्थल का समस्त वाह्य एवं आन्तरिक विकास यथा सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, खडन्जा लगाना, नालियों, जलापूर्ति, गटर एवं मल निकास की व्यवस्था, विद्युतीकरण व प्रकाश की व्यवस्था एवं पार्कों का निर्माण, वृक्षारोपण एवं स्वच्छता संबंधी कार्य आदि सभी कार्य उत्तर प्रदेश, निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958, उ०प्र० शासन द्वारा प्रभावी, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 व यथासंशोधित उपविधि एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासनादेशों के अनुसार आपको स्वयं अपने व्यय पर निर्धारित अवधि में कराने होंगे।
3. प्रासंगिक आवासीय तलपट मानचित्र भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 यथासंशोधित के नियमानुसार तलपट मानचित्र में पार्क हेतु नियमानुसार खुला क्षेत्रफल 992.89 वर्ग मी० दर्शाया है तथा मार्गों की चौड़ाई 9.00 मी० प्रस्तावित है।
4. स्ट्रीट लाइट के रूप में एल.ई.डी. लाईट का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है।
5. समस्त विकास के दौरान तलपट मानचित्र सदैव स्थल पर ही रखा जायेगा, किसी भी समय निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ता को उपलब्ध कराना होगा।
6. विकास कार्य आरम्भ करने व समाप्त होने की सूचना नियमानुसार निर्धारित प्रपत्रों पर कार्यालय विनियमित क्षेत्र हाथरस को दी जायेगी तथा निर्धारित अवधि में पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
7. स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार यदि विकास कार्य के दौरान कोई भी परिवर्तन किया जायेगा तो नियमानुसार परिवर्तन करने से पूर्व सूचना इस विभाग को दी जायेगी तथा पूर्वानुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही कोई परिवर्तन किया जायेगा।
8. किसी भी प्रकार के भूस्वामित्व विवाद के लिए पूर्णतः आपका उत्तरदायित्व होगा।
9. विकास के निर्माण कार्य हेतु श्रम विभाग के नियमों का अनुपालन किया जाना तथा उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ में परियोजना का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है।
10. उक्त शर्तों के अतिरिक्त भी यदि विकास कार्य के दौरान इस कार्यालय द्वारा आवश्यक होने पर कोई अन्य शर्तें लागू की जाती हैं, तो मान्य होंगी।
11. प्रासंगिक पत्रावली पर संलग्न आपके एवं अधोहस्ताक्षरी के मध्य अनुबन्ध पत्र के पेज सं० 02 के अनुसार भूखण्ड सं० 570, 569, 567 व 408 का कुल क्षेत्रफल 698.07 वर्ग मी० को समस्त आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा तथा आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी नीति के अनुसार (ई०डब्ल्यू०एस० एवं एल०आई०जी० श्रेणी के व्यक्तियों के लिए नियमानुसार कुल प्रस्तावित आवासीय इकाईयों (भूखण्ड अथवा फ्लैट) का न्यूनतम 10-10 प्रतिशत (कुल 20 प्रतिशत) ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण करने के प्राविधान के संदर्भ में अनुबन्ध पत्र के पेज सं० 03 के अनुसार भूखण्ड सं० 404, 416, 458, 464, एवं 566 के कुल क्षेत्रफल 858.36 वर्ग मी० को समस्त ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण करने की प्रगति के अनुसार नियमानुसार अवमुक्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक भूखण्ड धारक को भवन निर्माण करने से पूर्व निर्माण की अनुमति के लिए पृथक से इस कार्यालय से नियमानुसार भवन मानचित्र स्वीकृत कराना होगा।

संलग्न- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

स्वीकृत दिनांक 30/12/2020



नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र, हाथरस

कार्यालय नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र, हाथरस
विकास अनुज्ञा-स्वीकृति पत्र

श्री बीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बनवारी लाल
निवासी-ग्राम सूरजपुर, हाथरस एवं
श्रीमती सरोज देवी पत्नी श्री प्रेम सिंह
निवासी- जमालपुर, मथुरा,
प्रोमोटर वसुन्धरा रियल एस्टेट, ए-67, मोतीकुंज एक्सटेंशन, मथुरा
महोदय,

आपके द्वारा प्रस्तुत विकास स्थल गाटा सं0-501/2/2, 501/2/3 का अंश, मौजा-हतीसा भगवन्तपुर, तहसील-हाथरस पर स्थित 8934.53 वर्ग मी0 भूमि के क्षेत्रफल पर प्रस्तावित आवासीय ग्लोरी गार्डन फेज-ए के विन्सास मानचित्र संख्या-140/2020-21 दिनांक 28.12.2020 की निम्नांकित शर्तों के साथ आर0बी0ओ0 एक्ट 1958 के अन्तर्गत भवन निर्माण की अनुज्ञा प्रदान की जाती है

1. प्रस्तावित भूमि के विकास हेतु दी गई अनुज्ञा स्वीकृति के दिनांक से पाँच वर्ष तक के लिए वैध मानी जायेगी तथा समस्त विकास कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कराना होगा।
2. प्रस्तावित स्थल का समस्त वाह्य एवं आन्तरिक विकास यथा सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, खडन्जा लगाना, नालियों, जलापूर्ति, गटर एवं मल निकास की व्यवस्था, विद्युतीकरण व प्रकाश की व्यवस्था एवं पार्कों का निर्माण, वृक्षारोपण एवं स्वच्छता संबंधी कार्य आदि सभी कार्य उत्तर प्रदेश, निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रभावी, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 व यथासंशोधित उपविधि एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासनादेशों के अनुसार आपको स्वयं अपने व्यय पर निर्धारित अवधि में कराने होंगे।
3. प्रासंगिक आवासीय तलपट मानचित्र भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 यथासंशोधित के नियमानुसार तलपट मानचित्र में पार्क हेतु नियमानुसार खुला क्षेत्रफल 893.82 वर्ग मी0 दर्शाया है तथा मार्गों की चौड़ाई 9.00 मी0 प्रस्तावित है।
4. स्ट्रीट लाइट के रूप में एल.ई.डी. लाईट का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है।
5. समस्त विकास के दौरान तलपट मानचित्र सदैव स्थल पर ही रखा जायेगा, किसी भी समय निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ता को उपलब्ध कराना होगा।
6. विकास कार्य आरम्भ करने व समाप्त होने की सूचना नियमानुसार निर्धारित प्रपत्रों पर कार्यालय विनियमित क्षेत्र हाथरस को दी जायेगी तथा निर्धारित अवधि में पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
7. स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार यदि विकास कार्य के दौरान कोई भी परिवर्तन किया जायेगा तो नियमानुसार परिवर्तन करने से पूर्व सूचना इस विभाग को दी जायेगी तथा पूर्वानुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही कोई परिवर्तन किया जायेगा।
8. किसी भी प्रकार के भूस्वामित्व विवाद के लिए पूर्णतः आपका उत्तरदायित्व होगा।
9. विकास के निर्माण कार्य हेतु श्रम विभाग के नियमों का अनुपालन किया जाना तथा उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ में परियोजना का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है।
10. उक्त शर्तों के अतिरिक्त भी यदि विकास कार्य के दौरान इस कार्यालय द्वारा आवश्यक होने पर कोई अन्य शर्तें लागू की जाती हैं, तो मान्य होंगी।
11. प्रासंगिक पत्रावली पर संलग्न आपके एवं अधोहस्ताक्षरी के मध्य अनुबन्ध पत्र के पेज सं0 03 के अनुसार भूखण्ड सं0 562, 561, 557, 482, 428 व 427 का कुल क्षेत्रफल 697.78 वर्ग मी0 को समस्त आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा तथा आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी नीति के अनुसार (ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 श्रेणी के व्यक्तियों के लिए नियमानुसार कुल प्रस्तावित आवासीय इकाईयों (भूखण्ड अथवा प्लैट) का न्यूनतम 10-10 प्रतिशत (कुल 20 प्रतिशत) ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण करने के प्राविधान के संदर्भ में अनुबन्ध पत्र के पेज सं0 04 के अनुसार भूखण्ड सं0 556, 476, 471, 470, 434 एवं 429 के कुल क्षेत्रफल 667.84 वर्ग मी0 को समस्त ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण करने की प्रगति के अनुसार नियमानुसार अवमुक्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक भूखण्ड धारक को भवन निर्माण करने से पूर्व निर्माण की अनुमति के लिए पृथक से इस कार्यालय से नियमानुसार भवन मानचित्र स्वीकृत कराना होगा।

संलग्न- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

स्वीकृत दिनांक 30/12/2020



नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र, हाथरस

कार्यालय नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र, हाथरस
विकास अनुज्ञा-स्वीकृति पत्र

श्री बीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बनवारी लाल
निवासी-ग्राम सूरजपुर, हाथरस
प्रोमोटर वसुन्धरा रियल एस्टेट,
ए-67, मोतीकुंज एक्सटेंशन, मथुरा

महोदय,

आपके द्वारा प्रस्तुत विकास स्थल गाटा सं0-501/2/3, का अंश, मौजा-हतीसा भगवन्तपुर, तहसील-
हाथरस पर स्थित 6543.63 वर्ग मी0 भूमि के क्षेत्रफल पर प्रस्तावित आवासीय ग्लोरी गार्डन फेज-V के विन्सास
मानचित्र संख्या-149/2020-21 दिनांक 04.01.2021 की निम्नांकित शर्तों के साथ आर0बी0ओ0 एक्ट 1958 के
अन्तर्गत भवन निर्माण की अनुज्ञा प्रदान की जाती है

1. प्रस्तावित भूमि के विकास हेतु दी गई अनुज्ञा स्वीकृति के दिनांक से पाँच वर्ष तक के लिए वैध मानी जायेगी तथा समस्त विकास कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कराना होगा।
2. प्रस्तावित स्थल का समस्त वाह्य एवं आन्तरिक विकास यथा सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, खडन्जा लगाना, नालियों, जलापूर्ति, गटर एवं मल निकास की व्यवस्था, विद्युतीकरण व प्रकाश की व्यवस्था एवं पार्कों का निर्माण, वृक्षारोपण एवं स्वच्छता संबंधी कार्य आदि सभी कार्य उत्तर प्रदेश, निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रभावी, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 व यथासंशोधित उपविधि एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासनादेशों के अनुसार आपको स्वयं अपने व्यय पर निर्धारित अवधि में कराने होंगे।
3. प्रासंगिक आवासीय तलपट मानचित्र भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 यथासंशोधित के नियमानुसार तलपट मानचित्र में पार्क हेतु नियमानुसार खुला क्षेत्रफल 654.74 वर्ग मी0 दर्शाया है तथा मार्गों की चौड़ाई 9.00 मी0 प्रस्तावित है।
4. स्ट्रीट लाइट के रूप में एल.ई.डी. लाइट का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है।
5. समस्त विकास के दौरान तलपट मानचित्र सदैव स्थल पर ही रखा जायेगा, किसी भी समय निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ता को उपलब्ध कराना होगा।
6. विकास कार्य आरम्भ करने व समाप्त होने की सूचना नियमानुसार निर्धारित प्रपत्रों पर कार्यालय विनियमित क्षेत्र हाथरस को दी जायेगी तथा निर्धारित अवधि में पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
7. स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार यदि विकास कार्य के दौरान कोई भी परिवर्तन किया जायेगा तो नियमानुसार परिवर्तन करने से पूर्व सूचना इस विभाग को दी जायेगी तथा पूर्वानुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही कोई परिवर्तन किया जायेगा।
8. किसी भी प्रकार के भूस्वामित्व विवाद के लिए पूर्णतः आपका उत्तरदायित्व होगा।
9. विकास के निर्माण कार्य हेतु श्रम विभाग के नियमों का अनुपालन किया जाना तथा उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ में परियोजना का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है।
10. उक्त शर्तों के अतिरिक्त भी यदि विकास कार्य के दौरान इस कार्यालय द्वारा आवश्यक होने पर कोई अन्य शर्तें लागू की जाती हैं, तो मान्य होंगी।
11. प्रासंगिक पत्रावली पर संलग्न आपके एवं अधोहस्ताक्षरी के मध्य अनुबन्ध पत्र के पेज सं0 03 के अनुसार भूखण्ड सं0 535, 536, 538, 543, 547 व 548 का कुल क्षेत्रफल 717.31 वर्ग मी0 को समस्त आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा तथा आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी नीति के अनुसार (ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 श्रेणी के व्यक्तियों के लिए नियमानुसार कुल प्रस्तावित आवासीय इकाईयों (भूखण्ड अथवा फ्लैट) का न्यूनतम 10-10 प्रतिशत (कुल 20 प्रतिशत) ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण करने के प्राविधान के संदर्भ में अनुबन्ध पत्र के पेज सं0 04 के अनुसार भूखण्ड सं0 512, 514, 515, 537 एवं 542 के कुल क्षेत्रफल 583.82 वर्ग मी0 को समस्त ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण करने की प्रगति के अनुसार नियमानुसार अवमुक्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक भूखण्ड धारक को भवन निर्माण करने से पूर्व निर्माण की अनुमति के लिए पृथक से इस कार्यालय से नियमानुसार भवन मानचित्र स्वीकृत कराना होगा।

संलग्न- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

स्वीकृत दिनांक 11/01/2021



नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र, हाथरस

कार्यालय नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र, हाथरस
विकास अनुज्ञा-स्वीकृति पत्र

श्री बीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बनवारी लाल
निवासी-ग्राम सूरजपुर, हाथरस
प्रमोटर वसुन्धरा रियल एस्टेट,
ए-67, मोतीकुंज एक्सटेंशन, मथुरा

महोदय,

आपके द्वारा प्रस्तुत विकास स्थल गाटा सं०-501/2/3, का अंश, मौजा-हतीसा भगवन्तपुर, तहसील-
हाथरस पर स्थित 8846.60 वर्ग मी० भूमि के क्षेत्रफल पर प्रस्तावित आवासीय ग्लोरी गार्डन फेज-ए के विन्सास
मानचित्र संख्या-148/2020-21 दिनांक 04.01.2021 की निम्नांकित शर्तों के साथ आर०बी०ओ० एक्ट 1958 के
अन्तर्गत भवन निर्माण की अनुज्ञा प्रदान की जाती है

1. प्रस्तावित भूमि के विकास हेतु दी गई अनुज्ञा स्वीकृति के दिनांक से पाँच वर्ष तक के लिए वैध मानी जायेगी तथा
समस्त विकास कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कराना होगा।
2. प्रस्तावित स्थल का समस्त वाह्य एवं आन्तरिक विकास यथा सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, खडन्जा
लगाना, नालियों, जलापूर्ति, गटर एवं मल निकास की व्यवस्था, विद्युतीकरण व प्रकाश की व्यवस्था एवं पार्कों का
निर्माण, वृक्षारोपण एवं स्वच्छता संबंधी कार्य आदि सभी कार्य उत्तर प्रदेश, निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम
1958, उ०प्र० शासन द्वारा प्रभावी, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 व यथासंशोधित उपविधि एवं अन्य
सुसंगत नियमों/शासनादेशों के अनुसार आपको स्वयं अपने व्यय पर निर्धारित अवधि में कराने होंगे।
3. प्रासंगिक आवासीय तलपट मानचित्र भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 यथासंशोधित के नियमानुसार तलपट
मानचित्र में पार्क हेतु नियमानुसार खुला क्षेत्रफल 884.79 वर्ग मी० दर्शाया है तथा मार्गों की चौड़ाई 9.00 मी०
प्रस्तावित है।
4. स्ट्रीट लाइट के रूप में एल.ई.डी. लाइट का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है।
5. समस्त विकास के दौरान तलपट मानचित्र सदैव स्थल पर ही रखा जायेगा, किसी भी समय निरीक्षण के समय
निरीक्षणकर्ता को उपलब्ध कराना होगा।
6. विकास कार्य आरम्भ करने व समाप्त होने की सूचना नियमानुसार निर्धारित प्रपत्रों पर कार्यालय विनियमित क्षेत्र
हाथरस को दी जायेगी तथा निर्धारित अवधि में पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
7. स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार यदि विकास कार्य के दौरान कोई भी परिवर्तन किया जायेगा तो नियमानुसार
परिवर्तन करने से पूर्व सूचना इस विभाग को दी जायेगी तथा पूर्वानुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही कोई परिवर्तन
किया जायेगा।
8. किसी भी प्रकार के भूस्वामित्व विवाद के लिए पूर्णतः आपका उत्तरदायित्व होगा।
9. विकास के निर्माण कार्य हेतु श्रम विभाग के नियमों का अनुपालन किया जाना तथा उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक
प्राधिकरण, लखनऊ में परियोजना का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है।
10. उक्त शर्तों के अतिरिक्त भी यदि विकास कार्य के दौरान इस कार्यालय द्वारा आवश्यक होने पर कोई अन्य शर्तें
लागू की जाती हैं, तो मान्य होंगी।
11. प्रासंगिक पत्रावली पर संलग्न आपके एवं अधोहस्ताक्षरी के मध्य अनुबन्ध पत्र के पेज सं० 03 के अनुसार भूखण्ड
सं० 508, 519, 520, 526, 527, 529, 530 व 531 का कुल क्षेत्रफल 954.73 वर्ग मी० को समस्त आन्तरिक एवं
वाह्य विकास कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा तथा आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय
वर्गों के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी नीति के अनुसार (ई०डब्ल्यू०एस० एवं
एल०आई०जी० श्रेणी के व्यक्तियों के लिए नियमानुसार कुल प्रस्तावित आवासीय इकाईयों (भूखण्ड अथवा फ्लैट)
का न्यूनतम 10-10 प्रतिशत (कुल 20 प्रतिशत) ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण करने के प्राविधान
के संदर्भ में अनुबन्ध पत्र के पेज सं० 04 के अनुसार भूखण्ड सं० 442, 445, 449, 496, 518, 532, 533 एवं 534
के कुल क्षेत्रफल 875.48 वर्ग मी० को समस्त ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण करने की प्रगति के
अनुसार नियमानुसार अवमुक्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक भूखण्ड धारक को भवन निर्माण करने से पूर्व निर्माण की अनुमति के लिए पृथक से इस कार्यालय से
नियमानुसार भवन मानचित्र स्वीकृत कराना होगा।

संलग्न- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

स्वीकृत दिनांक 11/01/2021



नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र, हाथरस